

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प फतेहपुर

452  
12/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी फतेहपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक फतेहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार माधलपुर / नायब तहसीलदार य की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुरा तहसील माधलपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 47 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम   | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)   | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)  |
|---------|---------|-------------|--|--|
| 1       | रामपुरा | 47          | किरण देवी देवा रामदेवलादी<br>दि 1/8 परगनाली रणुकीर<br>एशेयरा रतीरक दि०<br>जीवन जलवाई सर्कटा<br>पुत्रीया जीवन पागवाई<br>देवा जीवन दि 1/8 परगना<br>फतेहपुर | किरण देवी देवा रामदेवलादी<br>दि 1/8 परगनाली रणुकीर<br>एशेयरा रतीरक दि० जीवन<br>जलवाई सर्कटा पुत्रीया जीवन<br>पागवाई देवा जीवन दि०<br>1/8 परगना फतेहपुर |

राम  
11/06/18  
(उप खण्ड अधिकारी)  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प फतेहपुर  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार माधलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।